

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

(+) Interest due	Rs	
(-) Recovery of overp	aid interest Rs	
Deduction if any	y Rs	
Total Amount d	ue Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
		Signature of Postmaster/Manager
	Acq	uittance
	(to be fille	ed by depositor)
Received Rs	(In figures)dated	(in words) By cash/cheque/DD bearing/by transfer to Account No
Place:		
Date:	Signature/thumb im	apression of account holder(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. **922(अ)**.— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 है।
- (2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) ''खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) ''खाता धारक'' से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;
- (ग) ''अधिनियम'' से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) ''प्ररूप'' से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

- (ङ) ''साधारण नियम'' से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।
- 3. खातों के प्रकार:- (1) सावधि जमा खातों के चार प्रकार होंगे, अर्थात् एक वर्षीय खाता, दो वर्षीय खाता, तीन वर्षीय खाता तथा पांच वर्षीय खाता जिसमें क्रमश:, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप किया जा सकेगा।
- 4. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा,-
- (i) एकल वयस्कः
- (ii) संयुक्त नामों में अधिकतम तीन वयस्कों द्वारा;
- (iii) ऐसा अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (iv) अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक ।
- (2) एक व्यष्टि का अपने नाम पर या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाता हो सकेगा।
- 5. जमा और प्रतिसंदाय :- (1) खाते में केवल एक बार एक हजार रुपये से अनिधिक और एक सौ रुपये के गुणक में कोई जमा होगी।
- (2) जमा यथास्थिति, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रतिदाय होगी । खाते में जमा लेखा कार्यालय को प्रस्तुत प्ररूप-2 में आवेदन पर खाता धारक को पुन:संदत्त की जा सकेगी ।
- **6. खाते का विस्तार:-** (1) जहां खाते में जमा प्रतिसंदाय हेतु देय हो गई है, खाताधारक अपने विकल्प से एक अन्य समयावधि के लिए उस खाते का विस्तार कर सकता है जिसके लिए खाता आरंभ में खोला गया था।
- (2) जहां यह विस्तार उप-पैरा (1) के अधीन किया गया है, विस्तार के लिए विकल्प का प्रयोग नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं	खाते का प्रकार	प्रतिसंदाय की तारीख से अवधि जिससे विस्तार के लिए विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा।
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	छह मास
2.	दो वर्ष	बारह मास
3.	तीन वर्ष	अट्ठारह मास
4.	पांच वर्ष	अट्ठारह मास

- (3) जहां उप-पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा के विस्तार के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिदाय की तारीख पर स्कीम के अधीन खाते के प्रकार पर लागू ब्याज देय होगा।
- (4) खाताधारक को उप-पैरा 2 के अनुसार खाते का विस्तार आरंभिक प्रतिसंदाय की तारीख के पश्चात केवल दो बार ही अनुज्ञात होगा।
- (5) उप-पैरा (1) के अनुसार खाते के विस्तार का विकल्प का प्रयोग खाताधारक द्वारा खाता खोलते समय भी किया जा सकेगा। तथापि, खाताधारक प्रतिसंदाय की तारीख से पहले कभी भी खाते के विस्तार के विकल्प का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

7 . ब्याज की दर (1) इस स्कीम के ३	गधीन जमा को व	व्याज की दर नीचे	सारणी में विनिर्दिष्ट	रूप में होगी:
---------------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------

क्र.सं	खाते का प्रकार	ब्याज की दर (प्रतिशत/वार्षिक)
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	6.9
2.	दो वर्ष	6.9
3.	तीन वर्ष	6.9
4.	पांच वर्ष	7.9

- (2) जहां ब्याज रुपये के अंश रूप में हो और ऐसा अंश पचास पैसे या इससे अधिक का हो तो इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि ऐसा अंश पचास पैसे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।
- (3) खाता खोलने की तारीख पर लागू दर परिपक्वता तक लागू रहेगी।
- (4) ब्याज वार्षिक रूप से देय होगा और वर्ष की गणना उस तारीख से की जाएगी जब खाता खोला गया है।
- (5) यदि ब्याज के संदाय की तारीख गैर कार्यदिवस पर पड़ती है, तो संदाय ठीक इसके पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर देय हुआ माना जाएगा।
- (6) कोई अतिरिक्त ब्याज उस ब्याज रकम पर देय नहीं होगा जो संदाय के लिए देय से गई है परंतु खाताधारक द्वारा आहरित नहीं की गई है।
- (7) वार्षिक ब्याज खाताधारक के बचत खाते में उसके विकल्प पर प्रत्यय किया जाएगा।
- 8. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना:- निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्ररूप-4 में खाता धारक द्वारा आवेदन पर खाता किसी भी समय बंद किया जाना अनुज्ञात होगा, अर्थात्:--
- (क) जमा करने की तारीख से छह मास समाप्त होने से पहले कोई जमा आहरित नहीं की जाएगी;
- (ख) जहां एक वर्षीय, दो वर्षीय, तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय खाते में जमा परिपक्वतापूर्व छह मास के पश्चात किंतु जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने से पहले आहरित की जाती है, तो खाताधारक को पूरे किए गए मासों के लिए डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज देय होगा।
- (ग) जहां दो वर्षीय, तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय खाते में जमा परिपक्वतापूर्व जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात आहरित की जाती है, तो खाताधारक को ब्याज जमा करने की तारीख पर आरंभ करके आहरण की तारीख के साथ समाप्त होकर पूरे किए गए वर्षों तथा मासों के लिए देय होगा और इस पर ब्याज उस दर पर परिकलित होगा जो एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्षों, यथास्थिति हो, से जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर की तुलना में दो प्रतिशतांक बिंदु कम होगा तथा पूरा किए गए वर्ष के लिए ब्याज पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार तिमाही रूप से चक्रवृद्धि आधार पर परिकलित होगा तथा वर्ष के किसी एक भाग के लिए उप-पैरा (ख) के उपबंधों के आधार पर ब्याज देय होगा।

परंतु कि यदि पांच वर्षीय सावधि जमा खाता जमा की तारीख से चार वर्ष के पश्चात बंद कर दिया जाता है, तो इस पैरा के अधीन ब्याज के परिकलन हेतु तीन वर्षीय सावधि जमा खाता के लिए अनुज्ञेय दर लागू होगी।

- (घ) पैरा 7 के अधीन जमा पर पहले ही संदत्त कोई ब्याज इस पैरा के अधीन प्रतिदेय जमा ब्याज की प्रतिसंदाय और जमा में से वसूल किया जाएगा।
- 9. खाता गिरवी रखना-(1) किसी खाते को, जमाकर्ता द्वारा, गिरवीदार से स्वीकृति पत्र के साथ समर्थित, प्ररूप-5 में आवेदन पर प्रतिभृति के रूप में गिरवी या स्थानातरित किया जा सकेगा।

- (2) इस नियम के अधीन किसी खाते का स्थानांतरण निम्नलिखित को किया जा सकेगा:--
- (क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी पदीय हैसियत में;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसायटी जिसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक भी है;
- (ग) कोई पब्लिक या प्राईवेट सहकारी या सरकारी कंपनी;
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
- (ड़) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई आवास वित्त कंपनी:

परंतु यह कि किसी ऐसे खाते का अंतरण जो किसी अव्यस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला गया है, का इस नियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक यथास्थिति ऐसे अव्यस्क या ऐसे विकृत्त चित्त व्यक्ति का संरक्षक, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे कि ऐसा अव्यस्क और विकृत्त चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, जीवित है और अंतरण और ऐसे अव्यस्क विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए है।

- (3) जब कोई खाता उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी खाते जिसके अंतर्गत बचत प्रमाणपत्र भी है, के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:--
- ''.....को प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया है'।
- (4) इस स्कीम में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरिती जब तक यह उप-पैरा (5) के अधीन पुन:अंतरित नहीं कर दिया जाता है, जमाकर्ता समझा जाएगा।
- (5) इस नियम के अधीन स्थानांतरित किया गया कोई खाता, अंतरीती के लिखित प्राधिकार पर प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पूर्व मंजूरी के साथ वापस स्थानांतरित की जाए और जब कोई ऐसा पुन:अंतरण किया जाता है तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी खाते, जिसके अंतर्गत बचत प्रमाणपत्र भी है, के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:--
- ''.....को पुन∶अंतरित किया गया है"।
- (6) कोई नेत्रहीन या शरीरिक अक्षमता वाला व्यक्ति जो खाते के संचालन में उसे अक्षम बनाती है, अपनी जमा की गिरवी किसी साक्षर व्यक्ति जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करे, कर सकेगा।
- **10. खाता धारक की मृत्यु पर संदाय –** (1) किसी एकल खाते में जमाकर्ता या किसी संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु की दशा में खाते में जमा, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस(सों) को संदेय होगा।
- (2) यदि दो या दो से अधिक नामनिर्देशिती हैं, खाते में जमा, नामनिर्देशन करते समय जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपात में संदत्त किया जाएगा और यदि ऐसा अनुपात या अंश विनिर्दिष्ट नहीं है तो सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों को समान अनुपात में संदत्त किया जाएगा।
- (3) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु होती है तो जमा की रकम में उसका विनिर्दिष्ट अंश उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों के बीच समान अनुपात में उनके विनिर्दिष्ट अंशों के अनुसार वितरित किया जाएगा।
- (4) यदि उत्तरजीवी नामनिर्देशिती अव्यस्क है तो संदाय, जमाकर्ता द्वारा ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए नियुक्त ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है तो अव्यस्क के संरक्षक को किया जाएगा।
- (5) जहां तीन या तीन से अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस हैं, वे अपने विकल्प पर खाते को जारी रख सकेंगे और इस स्कीम में उपबंधित रीति में ब्याज के साथ जमा की रकम प्राप्त कर सकेंगे, जैसे उन्होंने खाता खोला हो यदि वे इस स्कीम के अधीन अन्यथा पात्र हैं।

- (6) जहां उप-पैरा (5) के अधीन खाता जारी नहीं रहता है तो वह बंद कर दिया जाएगा वहां खाते में जमा की रकम ब्याज सहित संदत्त की जाएगी और ऐसा ब्याज ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसके लिए जमा लेखा कार्यालय में रही है और ऐसे ब्याज की दर निम्न प्रकार संदत्त की जाएगी:-
- (i) पैरा 7 में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे पूर्ण वर्षों के लिए जो जमा की अवधि से अधिक न हो; और
- (ii) उसके पश्चात् किसी ऐसी अवधि के लिए जो समय-समय पर डाकघर बचत खातों को लागू दर पर पूर्ण किए हुए मासों के
- (7) किसी संयुक्त खाते में एक या दो खाता धारकों की मृत्यु पर उत्तरजीवी खाताधारक(कों) को, यदि कोई है खाते का स्वामी या खाते के स्वामी के रूप में माना जाएगा और ऐसा खाताधाराक या ऐसे खाताधारक उप-पैरा (5) और उप-पैरा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में खाते को जारी रख सकेंगे या बंद कर सकेंगे।
- 11. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 12. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस (भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 4 का उप - पैरा 1 देखिए]

	(खाता खोलने के लिए आवेदन)							
सेवा में,								
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक							
				आवेदक/आवेदकों का फोटो चिपकाएं				
श्रीमान,			L					
	मैं/हमविध जमा स्कीम के अधीन खाता			ज्ञक घर /बैंक में 1/2/3/5 वर्ष	र्घ के लिए राष्ट्रीय			
ड्राफ्ट संर	मैं/हम, ख्यांक यां निम्न प्रकार हैं:-							
1. प्रथम	जमाकर्ता का नाम							
पति/पि	ता/माता या न्यायालय द्वारा नियु	क्त संरक्षक का नाम						
			_	<u>^</u>				

		शब्दों में
2. दूसरे जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में
3. तीसरे जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में
4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम		
पिता/माता/संरक्षक का नाम		
।पता/माता/सरझक का नाम		(
	जन्म का ताराख	(दिदि/मम/वववव) शब्दों में
5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक		राष्ट्रा म
वि. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख्यांक वर्तमान पता		
7. वतमान पता स्थायी पता		
8. संपर्क ब्यौरे टेलीफोन नं		
8. सपक ब्यार टलाफान न मोबाइल नं		
भाषाइल न ई-मेल आईडी		
	के मामले में संरक्षक के माध्य	म से या विकृतचित्त व्यक्ति या
10. (*)अवयस्क के जन्म की तारीख के ब्यौरे		
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
(क) प्रमाणपत्र सं		
(ख) जारी होने की तारीख		
(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी		
11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का नाम		
(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की	दशा में)	
12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत	T	

2.	पते	का	सब	त	 						 			
Ζ.	पत	ભા	त्त्रथ	Π.			٠.	÷	 	÷	 			

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र;

13. खाते का संचालन धारक(व	कों)	(क) सभी धारकों या उत्तरजीवी द्वारा				
(संयुक्त खाते के मामले में)		(ख) धारक/कों द्वारा या उत्तरजीवी द्वारा				
जमाकर्ता/कों						
14. मेरा /हमारे नमूने हस्ताक्ष	₹					
1	2	3				
(नाम)						
2	2	3				
(नाम)						
3	2	3				
(नाम)						
4	2	3				
(नाम)						

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं।

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
तारीख

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लीखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम	पूरा	नाम	अवयस्क के	हकदारी का	हकदारी की
	निर्देशिती(यों)	पता(पते)	निर्देशिती	मामले में	अंश	प्रकृति,
	का नाम (के		का आधार	नाम		न्यासी या
	नाम) और		संख्यांक	निर्देशिती के		

	संबंध	नाम (वैकल्पिक)	जन्म की तारीख	स्वामी
1				
2				
3				
4				

चूंकि क्रम संख्या (कों) विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासीनिवासी	क <u>ो</u>	नाम निर्देशिती/नाम निर्देशिति	नेयों की
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय	राशिका प्राप्त	करन के लिए । नयुक्त करता ह	<u>غ</u> ا
1. साक्षी के हस्ताक्षर			
नाम और पता			
2. साक्षी का नाम			
नाम और पता			
	खाताधार	क (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर य	ा अंगूठा छाप
स्थान			
तारीख			
पोस्ट ऑफि स/ बैं क के	प्रयोग हेतु		
यह खाताके नाम में तारीख			
 खोला गया है।		ताराख	द्वारा
ग्राहक पहचान संख्यांक			
नाम निर्देशन संख्यांक	द्वारा रजि	स्ट्रीकृत किया गया है	
		सक्षम प्राधिकारी के हस्ता	क्षर और मुद्रा

प्ररूप 2
[पैरा 5 का उप पैरा 2 देखें]
(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

पोस्ट ऑफिस/बैंक का नाम-----

तारीख	
खाता संख्यांक	
 मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने/हमारे त को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं। 	ारीखको परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यय मेरे बचत(खाता कार्यालय का नाम) करें ।	बैंक खाता संख्यांकिस्थतिस्थत
या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें	
या	
कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले	में लागू)
*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकमजो ज	ीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।
	खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जा	नी चाहिए)
संदाय आ	देश
(केवल कार्यालय के	प्रयोग हेतु)
	तारीख
संदाय ब्याँ	रा
मूल रकम रुपए	
(+) देय ब्याज रुपए	
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए	_
कटौती, यदि कोई हो, रुपए	
कुल देय रकम रुपए(अंको में)	(क्टरों में) का मंत्रक को ।
रुपए(अका म)	(शब्दा म) का सदाय कर ।
स्थान	
तारीख	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
भुगतान /	
(जमाकर्ता द्वारा १	
रुपएको अंतरण द्वारा, प्र	
म्बासा संबन्धनम्नम् असर्ग द्वारा, म	n arredi

स्थान:
तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

प्ररूप 3 [पैरा 6 का उप पैरा 1 देखिए] (खाते की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन)

	(खाते की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन)
सेवा में, श्रीम 	(जारा यम जयाब यम प्रक्रांग यम् पर्याप्य यम ।।
 श्रीमान,	
संख्यांक तारीख	के जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त खाता तारीखको ,खोला गया था और संदाय के लिए को जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त खाता तारीखको ,खोला गया था और संदाय के लिए को परिपक्व हो गया है /होगा । हम उपरोक्त खाते के परिपक्वता की तारीख से (स्कीम के । के अनुसारवर्ष(वर्षों) की अवधि के लिए खाते का विस्तार करने के लिए अनुरोध करते हैं ।
	उक्त स्कीम के अधीन समय-समय पर यथा संशोधित, विस्तार की अवधि के दौरान खाते को लागू निबंधनों और प्र लिया है और उनका पालन करूंगा/करेंगे ।
स्थान:	
तारीख:	
	खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
	(नाम और पता)
	 लेखा कार्यालय के प्रयोग हेतु
	ा संख्याकोशब्दों में- स्कीम का नाम के अधीन खोला गया था , का स्कीमके नियमके नियम न्यान्याल्या नियम
	ीखसेसेवर्ष की अवधि के लिए विस्तार कर दिया गया है ।
अभि स्थान:	विखों और पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।
तारीख:	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	मुद्रा

प्ररूप 4

[पैरा 8 देखिए]

(परिपक्वता पूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,

	श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक
जो 1/2/	न अपने /हमारे खाता संख्यांककेवल) अतिशेष हैं /3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन खोला गया था को परिवक्वता पूर्व बंद करना चाहता : आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूं/हैं ।
प्रत्यय क	कृपया मेरे बचत खाता संख्यांकस्थत(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का रें ।
	या
	कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें
	या
	कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हो)
	घोषणा करते हैं कि 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन ऐसी शर्तों की अनुपालना की जेसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है ।
*प्रमाणि	त किया जाता है कि खाते में धृत रकमजो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।
तारीख:.	
	खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा क	जर्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूछा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)
	केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु
	संदाय के ब्यौरे
	अतिशेष
	ई शास्ति की रकमरपए
संदत्त र्व	ो जाने वाली कुल रकम(अंकों में)
(शब्दों मे	Ť)
तारीख र	मुद्रापोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	भुगतान
	(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)
	(अंको में)तारीख- (शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख-
	/खाता संख्यांकको अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए ।

स्थान:						
तारीख:						
			खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर			
		प्ररूप 5				
		[पैरा 9 के उप-पैरा (1) देखें]				
		(खाते को गिरवी के लिए आवेदन)				
सेवा में,						
श्रीमान, पो	स्टमास्टर/प्रबंधक					
श्रीमान,						
अधिकारी का शासर्क सोसाइटी निगम, सर	1. मैं/हम (सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी का शासकीय पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक का नाम या किसी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी निगम, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी) को, करना अपेक्षित है। अतः मैं/हम आपसे 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि स्कीम के अधीन खाता संख्यांकमें निक्षेप(अधिकारी का शासकीय पदनाम					
	 मैं/हम सहमत हूं/हैं कि खाता/(ते) गिरवीदार द्वारा तब भुगतान कराया जा सकता है जब प्रतिभूति उन्मोचित कर दी गई है। खाते में पंजीकरण संख्यांक द्वारा नाम निर्देशन निरस्त किया जाता है। 					
		खाते की विशिष्टियां				
खाता संख्यांक	तारीख	लेखा कार्यालय का नाम	रकम			
उपरोक्त उल्लिखित हस्ताक्षरित गिरवी स			ा है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से			
तारीख:			खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर			
			पता			
		केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु				
	अभिलेख में चिन्हित	की गई हैं । पासबुक /जमा रसीद /	द्वारा गिरवी रखा गया है और खाते का विवरण भी गिरवी के साथ चिन्हित			
~		•				

	पोस्टमास्टर/	प्रबंधक	के	हस्ताक्षर
मुद्रा				

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 922(E).** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the National Savings Time Deposit Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
- (a) "account" means an account opened under this Scheme;
- (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
- (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing on the date of deposit in an account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.
- **3. Categories of accounts.-** There shall be four categories of time deposit accounts, namely, One-year account, Two-year account, Three-year account and Five-year account in which a deposit may be made for a period of one year, two years, three years and five years respectively.
- **4. Type of Accounts.-** (1) On an application to the accounts office in Form-1, an account can be opened by the following-
 - (i) a single adult;
 - (ii) upto a maximum of three adults in joint names;
 - (iii) a minor who has attained the age of ten years;
 - (iv) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind.
- (2) An individual may have more than one account in his name or jointly with another.
- **5. Deposit and repayment.-** (1) There shall be only one deposit of not less than one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees in an account.
- (2) The deposit shall be repayable after the expiry of a period of one year, two years, three years or five years, as the case may be. Deposit in the account may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.
- **6. Extension of Account.-**(1) Where a deposit in an account has become due for repayment, the account holder may at his option by making an application to the accounts office in Form-3, may further extend the account for another tenure for which the account was initially opened.
- (2) Where an extension is made under sub-paragraph (1), the option for extension shall be exercised as specified in the table below:

TABLE

S. No.	Category of the account	Period from date of repayment by which option for
		extension may be exercised.

(1)	(2)	3
1.	One-year	Six months
2.	Two-year	Twelve months
3.	Three-year	Eighteen months
4.	Five-year	Eighteen months

- (3) Where option of extension of deposit is exercised within the period specified in sub- paragraph (2), interest applicable to the category of account under the Scheme on the date of repayment shall be payable.
- (4) The account holder shall be allowed to extend the account as per sub-paragraph (2) only twice after the initial repayment date.
- (5) Option to extend the account as per sub-paragraph (1), may be exercised by the account holder at the time of opening of the account also. However, the account holder may revoke the option to extend the account any time before the date of repayment.
- **7. Rate of Interest.-** (1) The rate of interest as specified in the table below shall be applicable to the deposits under the Scheme.

S.No.	Category of account	Rate of interest (per cent. per annum)
(1)	(2)	(3)
1.	One-year	6.9
2.	Two-year	6.9
3.	Three-year	6.9
4.	Five-year	7.7

- (2) Interest shall be compounded on quarterly basis and payable to the account holder at the end of each year during the period of deposit.
- (3) Where the interest contains part of a rupee and if such part is fifty paisa or more, it shall be rounded off to one complete rupee and if such part is less than fifty paisa, it shall be ignored.
- (4) The rate applicable on the date of opening of the account shall apply till maturity.
- (5) The interest shall be payable annually and the year shall be reckoned from the date on which the account is opened.
- (6) If the date of payment of interest falls on a non-working day, the payment shall be deemed to be due on the working day immediately preceding.
- (7) No additional interest shall be payable on the amount of interest that has become due for payment but not withdrawn by the account holder.
- (8) The annual interest may be credited to the savings account of the account holder at his option.
- **8. Premature closure of account.-** Premature closure of an account shall be allowed on an application by the account holder in Form-4, subject to the following conditions, namely:-
- (a) no deposit shall be withdrawn before the expiry of six months from the date of deposit;
- (b) where a deposit in a one-year, two-year, three-year or five-year account is withdrawn prematurely after six months, but before the expiry of one year from the date of deposit, interest shall be payable to the account holder at the rate applicable to Post Office Savings Account for the completed months;

(c) where a deposit in a two-year, three-year or five-year account is withdrawn prematurely after the expiry of one year from the date of deposit, interest on such deposit shall be payable to the account holder for the completed years and months, commencing on the date of deposit and ending with the date of withdrawal, and such interest shall be calculated at the rate which shall be less by two per cent. points than the rate specified for a deposit of one-year, two-year or three-year, as the case may be and interest for the completed year shall be calculated on quarterly compounding basis in accordance with the provisions of paragraph 7, and for any part of a year, interest shall be payable as per provision of sub-paragraph (b):

Provided that if a five year Time Deposit account is closed after four years from the date of deposit, rate admissible for three-year Time Deposit account shall be applicable for calculation of interest under this paragraph;

- (d) any interest already paid on the deposit under paragraph 7 shall be recovered from the amount of repayment of deposit and the interest payable under this paragraph.
- **9. Pledging of an account.-** (1) An Account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-5 supported with acceptance letter from the pledgee.
- (2) Transfer of an account under this paragraph may be made to-
 - (a) the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
 - (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
 - (c) a public or private corporation or a Government company;
 - (d) a local authority; or
 - (e) a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this paragraph unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

"Transferred as security to".

- (4) Except as otherwise provided in this scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is re-transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.
- (5) An account transferred under this paragraph may, on written authority of the transferree, be transferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including Certificate, namely:-

"transferred back to.....".

- (6) A blind or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.
- **10.** Payment on the death of the account holder.-(1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the deposit in the account shall be payable to the nominee or legal heir(s) as the case may be.
- (2) If there are two or more surviving nominees, the deposit in the account shall be paid in the proportion as specified by the depositor while making the nomination, and if no such proportion or share is specified, then in equal proportion to all the surviving nominees.
- (3) If any nominee dies, his specified share in the amount of deposit shall be distributed among the surviving nominees in the same proportion as their specified shares.

- (4) Where the surviving nominee is a minor, the payment shall be made to a person appointed by the depositor to receive such payment and, if no such person has been appointed, to the guardian of the minor.
- (5) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option, continue the account and receive the amount of deposit alongwith interest in the manner provided for in this Scheme, as if they had opened the account themselves if they are otherwise eligible to make deposit under this Scheme.
- (6) Where the account is not continued under sub-paragraph (5), it shall be closed and the amount of deposit outstanding in the account shall be repaid with interest and such interest shall be allowed for the period for which the deposit has remained in the accounts office and the rate of such interest shall be paid as under.
- (i) as specified under paragraph 7, for completed years not exceeding the period for which the deposit was made; and
- (ii) for any period thereafter in completed months at the rate applicable to the Post Office Savings Account from time to time.
- (7) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account or close the account in the manner specified under sub-paragraph (5) and (6).
- **11. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- **12. Power to relax.-**Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 4] (Application for opening an account)

To			
The Post	master/Manager		Paste photograph of applicant/s
Sir,			
		ount holder(s)/guardian) hereby apply for me for 1/2/3/5 years in your Post Office/Ba	
•		herewith R in I deposit. My/our particulars are as under:-	cash/Cheque/DD.
110	date as initia	r deposit. Wy/our particulars are as under	
1. Nam	e of First Depositor		
Hush	oand/Father/mother's name or	Guardian appointed by Court	
Date	of Birth		

		(In words)
2.	Name of Second Depositor	
	Husband/Father /mother's name	
	Date of Birth	(DD / MM / YYYY) (In words)
3.	Name of Third Depositor	(,
	Husband/Father /mother's name	
	Date of Birth	(DD / MM / YYYY) (In words)
4.	Name of minor/person of unsound mind	account holder
	Father /mother/guardian's name	
	Date of Birth	(DD / MM / YYYY) (In words)
5.	Aadhaar Number of account holder(s)	(III words)
6.	Permanent Account Number (PAN)	of account holder(s)
7.	Present Address	
	Permanent Address	
8.	Contact details	Telephone Number
9.	Types of Account	Single or Joint or through guardian for minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorised person.
10.	(*)Details of date of birth of minor	
	(Applicable in case of minor account)	
	a) Certificate No.	
	b) Date of Issue	
	c) Issuing authority	

11.		dian (Natural/Legal)					
		nt is opened on behalmsound mind)			••••		
12.	Details of other K	YC documents attac	hed	1. Proof o	f identification		
				2. Address	s proof		
	address proof: 1.	ocuments are accept Passport 2. Driving I vernment officer 5. nd address;	icense 3.	Voter's ID	card 4. Job care	d issued by NF	REGA signed
13.	The operation of t holder/s.	he account will be:-		(a)	By all the holde	ers together or	the surviving
	(In case of joint a depositor/s,	ccount)		(b)	By either of th	e holder/s, or	the surviving
14.	My/our specimen	signatures					
					3.,		
,	•				3		
	ame)				3	•••••	•••••
1 (Na	ame)		2		3		
					3		
2018 aj		ike to abide by the sheme and amendmen				Savings Pro	notion rules-
			Signatu	are or thum	b impression of	account holde	er(s)/guardian
						Date:	
			Nomina	ation			
the exc	clusion of all other	persons in the even	nt of my	death the	amount standing	g to my credi	
S.No.	Name(s) of the	Full address (s)	Aadhaa	r number	Date of birth	Share of	Nature of

S.No.	Name(s) of the	Full address (s)	Aadhaar number	Date of birth	Share of	Nature of
	nominee(s) and		of	of nominee	entitlement	entitlement
	relationship		nominee(optional)	in case of minor		Trustee or owner

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 175

1						
2						
3						
4						
appoin Shri/Si under t 1. Sign Name 2. Sign	the said account in the sa	Addres		.D/o,W/o	to receive	
Place:			Signature or thum	nb impression of	account holde	r(s)/guardian
Date:		_		_		
T.			se of Post Office/Ba			2.1
initial	deposit of Rs		e ofunder d			(name
		umber				
Nomin	ation has been regi	stered vide No		dated		
			FORM - 2	Signature and s		
		_	ragraph (2) of para			
		(Applicat	ion for closure of ac	ecount)		
Name	e of Post Office/Ba	nk				

Account Number__

1. I/we hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my/our above mentione account matured on
2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account. (Name of Account office).
or
Please issue a Demand Draft/account payee cheque
or
Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).
*Certified, that the amount held in the account is required for the use of
Signature or thumb impression of account holder(s)/guardia
(Thumb impression should be attested by a person known to accounts office)
Payment Order
(For office use only)
Date
Payment detail
Principal amount Rs
(+) Interest due Rs.
(-) Recovery of overpaid interest Rs.
Deduction if any Rs
Total Amount due Rs
Pay Rs(in figurers)(in
words)
Place:
Date:
Signature of Postmaster/Manag
Acquittance
(to be filled by depositor)
Received Rs (In figures) (in words) By cash/cheque/DD bearing no
Place:
Date: Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 177

FORM - 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 6]

(Application for extension of account)

To,	
The Postmaster	-
Sir,	
Numberoffice. The sai payment. We l	am/are depositor of Account under National Savings Time Deposit Scheme for 1/2/3/5 years in your daccount was opened on and has/will mature on for hereby request for extension of the account for a further period of year(s) (as per rule ne rule) from the date of maturity of the above said account.
	have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of or the said scheme as amended from time to time and shall abide by them.
Place:	
Date:	Signature of the account holder(s)/guardian
	(Name and address)
	For the use of Accounts Office
(Rupees matured on .	count no
Necess	sary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.
Place:	
Date:	Signature of Postmaster/Manager Seal
	FORM - 4
	[See paragraph 8]
	(Application for premature closure of account)
То,	
The Postmaster	r/Manager

Sir,		
1. I/we wish to premature (Rupee	ely close my/our Account No Only) opened under Nation	having balance of al Savings Time
Deposit Scheme for 1/2/3/5 year per details given below:-	ars and request you to pay the amount after deduction of app	plicable penalty as
	mount to my SB Account no(Name of Account office).	standing
	or	
Please issue a Demand Draft/acc	count payee cheque	
	or	
Please pay in cash (applicable if	f the amount is below permissible limit)	
the National Savings Time Depo	at the conditions under which the account can be closed before osit Scheme for 1/2/3/5 years have been complied with. In the account is required for the use of	•
Date:	Signature or thumb impression of account holder(s)/guardiar	
(Thumb impression of the depos	sitor should be attested by a person known to the accounts of	
	For office use only	
	Payment detail	
less penalty amount ₹	(In figures)	
(In words)	(In figures)	
Date Stamp	Signature of Postmaster/Manager	
	Acquittance	
Received Rs(In No.)dated No	(to be filled by account holder/ messenger) in figures) (in words) By cash/ched/by transfer to Account	eque/DD bearing
Place:		
Date:	Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian	l

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 179

FORM - 5

[See sub-paragraph (1) of paragraph 9] (Application for pledging of account)

Го				
The Postmaster/Manager				
	••••			
Sir,				
Rs	as security with . Pernment or name Cooperative Soc st you to transfer e Deposit Schement is being please ant(s) can be encapped and security of the count is being please and security of the country of	eme for 1/2/3/5 years as security(Official Designation of the Communication of the Com	cial designation of Scheduled Bank, ompany or Local y in favour of Officer or name of	
	Рагі	iculars of Account		
Account number	Date	Name of account office	Amount	
The authority mentioned above becompetent authority as pledgee is		cept the pledge. A pledge acceptance of	duly signed by the	
Dated :		Signature of account holder(s)/guardian		
		Address		
	For of	ffice use only		
	and	has been pledged vid necessary entries have been marke also been marked with pledge and return	ed in the record.	
		Signature of Po	ost Master/Manager	
		Seal	_	